भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2948
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्यायिक सुधार संबंधी समिति

+2948. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक सुधार हेतु गठित समिति ने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध् में समिति के निष्कर्ष और सुझाव क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा न्यायिक प्रणाली को और प्रभावी बनाने और आपराधिक कृत्यों की तत्काल सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : सरकार ने प्रणाली में विलंब और बकाया को कम करने और अवसंरचना परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा पहुंच में वृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की है। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका में पदवृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपायों की संभावना, मामलों के त्वरित निपटान और मानव संसाधन विकास पर अभिवृद्धि के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन: इंजीनियरिंग सम्मिलित है।

राष्ट्रीय मिशन कार्य योजना के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा पहलुओं पर सलाह देने और इसको क्रियान्वित करने के लिए व्यापक स्तर पर सदस्यता के साथ विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता के अधीन एक सलाहकारी परिषद की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मिशन की कार्य योजना पांच रणनीतिक पहलुओं के अधीन विरचित की गई थी जिसे समय समय पर राष्ट्रीय मिशन के सलाहकारी परिषद द्वारा पुर्नविलोकित किया गया। अब तक सलाहकारी परिषद की ग्यारह बैठकें आयोजित हुई हैं। राष्ट्रीय मिशन के अधीन सक्रयतावादी सतत प्रकृति के है तथा राष्ट्रीय मिशन के सलाहकारी परिषद के समक्ष नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

(घ) : न्यायालयों में मामलों की सुनवाई और उसका निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालयों में मामलों की सुनवाई में सरकार कोई भूमिका नहीं है। तथापि संघ सरकार

मामलों के शीघ्र निपटान तथा लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पाँच वर्षों के दौरान उठाए गए मुख्य कदम निम्नानुसार हैं—

(क) : <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u>

1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सी एस एस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 7453.10 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं । जिसमें से 4008.80 करोड़ रु० (जो आज की तारीख तक जारी कुल रकम का 53.79% है) अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से 29.02.2020 तक बढ़कर 19,694 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर 29.02.2020 तक 17,432 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त, 2,814 न्यायालय हाल और 1843 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(ख) : <u>बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन:-</u>

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में समर्थ करने के लिए संपूर्ण देश में सरकार ई–न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2014 से आज तारीख तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 13,672 से बढ़कर 16,845 हो चुकी है और 3,173 की वृद्धि दर्ज की गई है । सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नया और उपयोक्ता अनुकूल मामला सूचना सॉफ्टवेयर विकसित करके लगाया गया है। सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में, एन जे डी जी पर इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों के संबंध में 13.13 करोड़ लंबित और निपटाए गए मामलों तथा 11.46 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों से संबंधित मामला प्रास्थिति सूचना उपलब्ध है। मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को ई न्यायालय सेवाऐं जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई न्यायालय बेव पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ईमेल सेवा, एस एम एस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) : <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना:-</u>

01.05.2014 से 29.02.2020 की अवधि के दौरान, उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई । उच्च न्यायालयों में 522 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 443 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई 2014 में 906 से वर्तमान में बढ़कर 1079 हो गई है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या निम्नानुसार बढाई गई है:-

तारीख	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013 को	19,518	15,115
29.02.2020 को	24,018	19,160

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरना संबधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में हैं।

(घ) : <u>बकाया मामला समिति द्वारा / अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों में कमी</u>

अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम

न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

(ङ) : अनुकल्पी विवाद समाधान (ए डी आर) पर जोर: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 (20 अगस्त 2018 को यथा संशोधित) बाध्यकारी पूर्व संस्थापन मध्यकता और वाणिज्यिक विवादों के परिनिर्धारण को नियत करता है। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में समय सीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधन किया गया है।

(च) : विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल: चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए वरिष्ठ नागरिकों, स्त्रियों, बालकों आदि से संबंधित मामलों हेतु त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना सम्मिलित हैं, और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रुप में प्रदान के गए राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.12.2019 को जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बालकों के विरूद्ध अपराधों, कुटुम्ब और वैवाहिक विवादों आदि के लिए 828 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (9) राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में 2) में कार्य़ कर रहे हैं और सरकार द्वारा इन राज्यों को उचित अनुपात में निधियां जारी की गई हैं और सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु संपूर्ण देश में 1023 विशेष त्वरित न्यायालय (एफ टी एस सी) स्थापित करने के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है। आज तारीख तक, 649 विशेष त्वरित न्यायालयों की स्थापना हेतु 27 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्कीम में सम्मिलित हुए है, जिसके अंतर्गत 363 विशिष्ट पोक्सो न्यायालय भी हैं। (100 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से) 99.43 करोड़ रुपये त्वरित न्यायालयों के लिए पहली किश्त के रुप में पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(छ) लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालय को उससे मुक्त करने के क्रम में सरकार ने हाल ही में कतिपय विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019, तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 का संशोधन किया है।

****